रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (P-211) अलेसे– I/ 1099 दिनांकः– 23-1-2017

श्री पुष्कर नंद मिश्रा,
सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I,
प्लॉट नं. 885, बरकत नगर,
टोंक फाटक, जयपुर।

कारण बताओ नोटिस

विषयः– कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में।

विभागीय आदेश कमांक 109/2016–17 दिनांक 10.10.2016 के द्वारा आपका स्थानान्तरण निरीक्षण विभाग, जयपुर से महानिदेशक, कारागार विभाग, जयपुर में किया गया था। निदेशक, निरीक्षण विभाग, जयपुर द्वारा आपको नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु दिनांक 30.11.2016 को मध्यान्हः पश्चात कार्यमुक्त कर दिया गया था। कार्यालय महानिदेशक, कारागार विभाग, जयपुर के पत्र कमांक 46673 दिनांक 04.01.2017 एवं 48398–99 दिनांक 17.01.2017 के द्वारा अवगत कराया है कि आपने अभी तक उनके कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किया है। उपरोक्त विभागीय आदेश दिनांक 10.10.2016 की अनुपालना में आपको अविलम्ब नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करना था, किन्तु 45 दिवस से भी अधिक की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी आपने अभी तक नवपदस्थापन कार्यालय (महानिदेशक, कारागार विभाग, जयपुर) में कार्यग्रहण नहीं किया, जो कि गम्भीर लापरवाही एवं राजकीय आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अविलम्ब कार्यग्रहण कर सूचित करें।

साथ ही आपने 45 दिवस की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण क्यों नहीं किया, इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के पॉच दिवस में आवश्यक रूप से इस विभाग को प्रस्तुत करें, कि क्यों नहीं लगातार स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के कारण आपके विरूद्ध राजस्थान सेवा नियम के नियम 86 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क) (P-211) अलेसे– I/ दिनांकः–

प्रतिलिपिः– महानिदेशक, कारागार विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र कमांक 46673 दिनांक 04.01.2017 एवं 48398–99 दिनांक 17.01.2017 के कम में प्रेषित कर लेख है कि श्री पुष्कर नंद मिश्रा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। द्वारा कार्यग्रहण करने पर कार्यग्रहण सूचना से इस विभाग को अवगत कराने का श्रम करावें।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)